स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या 91, दिनांक 16-03-2024

अन्तर्राज्यीय स्तर पर वन्य जीवों की तस्करी करने वाले गैंग का 01 तस्कर प्रतिबंधित/संरक्षित प्रजाति के कुल 462 तोते सहित गिरफ्तार।

दिनांक 16–03–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को संरक्षित / प्रतिबन्धित पक्षियों (तोता) की तस्करी करने वाले गैंग के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 01 अन्तर्राज्यीय तस्कर को सीतापुर से गिरफ्तार करते हुए, विभिन्न संरक्षित / प्रतिबन्धित प्रजाति के 462 पक्षी (तोता) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– रहीस अहमद पुत्र साबिर अली ग्राम पहाड़पुर, महेशपुर, थाना–खैराबाद, सीतापुर।

बरामदगी का विवरणः

1– **02 पिंजरे एवं 02 झोला में प्रतिबंधित/संरक्षित प्रजाति के कुल 462 तोते।** (Rose ringe Parrot-232, Plum Headed-230)
2– परिवहन में प्रयुक्त वाहन–बोलेरा यूपी 32 केएम 2124
3– 01 अदद मोबइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

दाउदपुर पौधशाला के पास लखनऊ–सीतापुर मार्ग थाना कमलापुर, सीतापुर। दिनांक 16–03–2024 को 08.30 बजे प्रातः।

वन विभाग, उ0प्र0 व वाइल्ड लाइफ क्राइम कन्ट्रोल व्यूरो द्वारा एस0टी0एफ0 से उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में व्यापक स्तर पर संरक्षित पक्षियों की तस्करी के बाद बिक्री करने की सूचना पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था। TRAFIKING (The Wild Life trade monitoring network) ने Parrots of India illegal Trade नाम से एक पम्पलेट भी जारी किया था, जिसमें भारत से तोतो के विभिन्न प्रजातियों की तस्करी का उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में एसटीएफ उ0प्र0 के समस्त टीमों / इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद सीतापुर निवासी रहीस अहमद नाम का व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित / संरक्षित प्रजाति के वन्य जीवों / पक्षियों का अन्तर्राज्यीय स्तर पर तस्करी किया जा रहा है। प्राप्त सूचना को विकसित करने पर जरिये मुखबिर ज्ञात हुआ कि जनपद पीलीभीत से प्रतिबंधित प्रजाति के पक्षियों की तस्करी करने वाला रहीस कुछ प्रतिबन्धित पक्षियों को लेकर बोलेरो गाड़ी से गोरखपुर जायेगा। इस सूचना पर उ0नि0 श्री अमित कुमार तिवारी के नेतृत्व में उ0नि0 विद्यासागर, मु0आ0 घनश्याम राय, आलोक कुमार पाण्डेय आरक्षी अवनीश कुमार एसटीएफ लखनऊ व वन विभाग की संयुक्त कार्यवाही में रहीस को दाउदपुर पौधशाला के पास लखनऊ–सीतापुर मार्ग थाना कमलापुर, सीतापुर से आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर अभियुक्त रहीस ने बताया कि वह जनपद पीलीभीत व रामपुर के शिकारियों से विभिन्न प्रजाति के तोता इकठ्ठा कराता है। जिसकी लखनऊ, सीतापुर व गोरखपुर में सप्लाई करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कमलापुर सीतापुर में मु0अ0सं0 129 / 2024 धारा 9, 39, 48ए, 50, 51, 57 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जा रही है।